

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एरा
राजस्व अपील/223/रा.का.अपि./140/2017/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोंडेंटगण

- | | |
|--|--|
| <p>1. मरीयम पत्नी गीर हरान राम
27 वर्ष जाति मुरालमान निवारी
बामणोर भंवरशाह तहसील
सेड़वा जिला बाड़मेर</p> | <p>बनाम 1.नसीबो पत्नी अनवर
2.हाजीयाणि पत्नी अनवर
3.जमीगत पत्नी हाजी मुशय जातियान
मुरालमान, निवारीमान बामणोर
भंवरशाह तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
4.श्रीमान तहसीलदार सेड़वा
5.उप पंजीयक सेड़वा</p> |
|--|--|

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व याद संख्या 195/2014 बअनयान
मरीयम बनाम नसीबों चणै. गें पारित निर्णय एवं डिग्री दिनांक 09.06.2017।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 07.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत मूल याद में दिनांक 09.06.2017 को एकपक्षीय रूप से भू-अभिलेख निरीक्षक भूणिया द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.10.2016 को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी का अंतिम बंटवारा करते हुए वादीनी के वाद को स्वीकार करते हुए मौजा बामणोर भंवरशाह पटवार हल्का बामणोर, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 531 रकबा 101.01 बीघा का विभाजन का आदेश पारित करने में विधि, तथ्यों एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजों की भारी अनदेखी कर गलत रूप से आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन




आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काविल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेसन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेसन के प्रार्थना-पत्र पर बहरा करते हुए बताया कि आलोच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई थी दिनांक 13.09.2017 को लगातार पूछने पर अधिवक्ता वादीनी ने अपीलांट को बताया कि प्रकरण दिनांक 09.06.2017 को अंतिम रूप से निर्णित किया गया है। जिस पर अपीलांट दिनांक 14.09.2017 को चौहटन गये। एवं उन्होंने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की जानकारी प्राप्त की एवं आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रति दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के पश्चात जानकारी से एक 60 दिन की अवधि के भीतर यह अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अपील को पेश करने में हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेसन प्रार्थना-पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में केम्प कोर्ट में पारित की गई। पत्रावली को केम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत नियत करने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सदभाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण




अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांत/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांत की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांत की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 195/2014 बअनवान मरीयम बनाम नसीबों वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करे तथा अपीलाधीन आराजी का तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मददेनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर